न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या 18/2020 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2020/00022

वर्दीचन्द पिता कूका डांगी निवासीः ग्राम कानपुर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. भगवानलाल पिता कूका डांगी निवासीः ग्राम कानपुर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. लोगर पिता कूका डांगी निवासीः ग्राम कानपुर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
3. फतहलाल पिता उदयलाल डांगी निवासीः ग्राम कानपुर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
4. भंवरसिंह पिता उदयसिंह राठौड़ निवासीः रोड़ नंबर 1, मादडी पुरोहितान, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपंत्ति

उपस्थितः 1. श्री भूरालाल डांगी अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4

आदेश

दिनांकः– 11/03/2026

अधिवक्ता रेस्पाडेंट संख्या 4 द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम कानपुर के खाता संख्या 18 के आराजी संख्या 797 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या 641 की आराजी संख्या 878 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 879 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खाता संख्या 615 की आराजी संख्या 877 रकबा 0.0400 हैक्टेयर के संबंध में ग्राम न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 31/2015 में दिनांक 11.09.2017 को राजीनामें के अनुसार पारित डिक्री में अपीलाण्ट के पक्ष में कुलिया भूमि का 1/2 हिस्सा अभिलेखों में नामांतरकरण संख्या 2298 दिनांक 18.10.2017 को अपीलार्थी के पक्ष में खोला गया था। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 द्वारा जिला न्यायाधीश, उदयपुर में अपील दायर की गई, जो अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 3 के न्यायालय में स्थानांतरित हुई। वहां सुनवाई उपरांत डिक्री निरस्त कर मामला पुनः विधि अनुसार कार्यवाही हेतु भेजा गया। जब मूल डिक्री ही निरस्त हो चुकी है, तो उसके आधार पर किया गया नामांतरकरण स्वतः निरस्त हो जाता है। इसी कारण पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु नामांतरकरण संख्या 2437 दिनांक 22.01.2019 स्वीकृत किया गया, जो पूर्णतः विधिसम्मत है। ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा

जिला कलक्टर
उदयपुर

सकती। अपीलार्थी को समस्त कार्यवाही की जानकारी होते हुए भी एक वर्ष से अधिक विलंब से अपील दायर की गई है, जो स्पष्टतः मियाद से बाहर है तथा आदेश 41 नियम 3–ए के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त की जाने योग्य है। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार भी नहीं है, क्योंकि पूर्व में प्राप्त डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 2437 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में स्वीकृत किया गया है जिसके विरुद्ध अपील लाई नही होती है। अतः प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे। अपने कथनो के ताईद में विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न केश लॉ प्रस्तुत कियेः

1. RRT 2005(2) P. 775
2. RRD 1994 P- 63
3. RBJ 2023 P 191
4. RRT 2012 (2) P 1250

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 के कथनों को विरोध करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 2437 विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 के आदेश में यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है।जहां प्रकरण रिमाण्ड किया गया है तो विधि यह अपेक्षा करती है कि प्रकरण का गुण अवगुणों पर निर्णयन किया जावे किन्तु इस प्रकरण के अग्रेषण में गुण व अवगुण पर कोई निर्णयन नही हुआ है। ग्राम न्यायालय प्रकरण संख्या 31/2015 की डिक्री निरस्त किए जाने मात्र से पूर्व में स्वीकृत नामांतरकरण स्वतः शून्य नहीं हो जाता, जब तक कि सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा पृथक आदेश पारित न किया जाए। अतः नामांतरण संख्या 2298 विधिसम्मत रूप से प्रभावी था। नामांतरकरण संख्या 2437 दिनांक 22.01.2019 बिना समुचित सुनवाई एवं अवसर दिए स्वीकृत किया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। मामला भूमि अधिकारों से संबंधित है, नामांतरकरण आदेश से अपीलाण्ट के अधिकार प्रभावित हुए हैं, अतः उसे अपील करने का पूर्ण अधिकार है और अपील को केवल तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। अतः प्रारंभिक आपत्ति निरस्त फरमायी जाकर न्यायहित में अपील को गुण–दोष के आधार पर सुना जाना आवश्यक है।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम न्यायालय प्रकरण संख्या 31/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2017 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 3, उदयपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जब मूल निर्णय व डिक्री ही निरस्त हो चुकी है, तब उसकी पालना में किया गया नामांतरकरण स्वतः प्रभावहीन हो जाता है तथा अभिलेख की पूर्व स्थिति बहाल किया जाना न्यायालय निर्णयानुसार एवं विधिसम्मत है। चूंकि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2437 दिनांक 19.01.2019 माननीय न्यायालय अपर जिला

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायाधीश क्रम संख्या 3 के निर्णय दिनांक 03.01.2019 की पालना में स्वीकृत किया गया है अतः उक्त नामान्तरकरण की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना विधि के प्रावधानो एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नही आता है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नही होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर